-2435
04/09/2024

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

संकल्प

विषयः–झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए 06 (छः) इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं 07 (सात) विद्यालयों (एक पूर्व में निर्मित) के संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1021, दिनांक–31.03.2022 को संशोधित करने के संबंध में।

1. झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए 06 (छः) इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं 07 (सात) विद्यालयों (एक पूर्व में निर्मित) के संचालन के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–1021, दिनांक–31.03.2022 निर्गत है।
2. उक्त संकल्प के कंडिका–7, 11, 12 (क) एवं योजना प्राधिकृत समिति के शर्त संबंधी कंडिका 14(v) के अनुसार निर्माण कार्य केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसमें प्राक्कलित राशि का 60% राशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तथा 40% राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाने का प्रावधान है।
3. उक्त निर्गत संकल्प द्वारा चयनित योजनाओं के मूल स्थलों में विवाद/अनुपलब्धता आदि के कारण संबंधित योजनाओं के स्थल परिवर्त्तन हेतु कार्यकारी एजेन्सी एवं संबंधित उपायुक्तों द्वारा समय–समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। गढ़वा जिला अन्तर्गत चयनित स्थल पर विद्यालय निर्माण पर उत्पन्न विवाद के कारण उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक–399, दिनांक–17.03.2023 द्वारा स्थल परिवर्त्तन के अनुरोध के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय पत्रांक–1044, दिनांक–03.05.2023 द्वारा स्थल परिवर्त्तन की स्वीकृति दी गई है।
4. माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–12.07.2023 को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक– 1693, दिनांक–24.07.2023 की कण्डिका–3.1 एवं कण्डिका–3.2 में निम्नवत् निदेश दिया गया है:–

कण्डिका–3.1

"नए 05 पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में साहेबगंज, राँची तथा गढ़वा मे चिन्हित भूमि में विवाद होने पर नए स्थल परिवर्तन हेतु तथा 06 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में गढ़वा, सरायकेला–खरसावाँ, राँची तथा साहेबगंज में चिन्हित भूमि पर परिवाद की स्थिति में नए स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संकल्प में संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।"

कण्डिका–3.2

"नए 06 अल्पसंख्यक समुदाय के आवासीय विद्यालयों के निर्माण की योजना पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों के निर्माण योजना के अनुरूप राज्य योजना है, इस हेतु प्रासंगिक संकल्प संख्या–1021, दिनांक–31.03.2022 में आवश्यक संशोधन हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करें।"

5. उक्त के आलोक में पूर्व निर्गत संकल्प सं०—1021, दिनांक—31.03.2022 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:—

क. "संकल्प की कंडिका—7, 11, 12 (क) एवं योजना प्राधिकृत समिति के शर्त संबंधी कंडिका 14(v) जिनमें उपर्युक्त कंडिका—2 के बिन्दु समाहित है को विलोपित किया जाता है तथा इसी संकल्प की कंडिका 13 के अनुसार संकल्प द्वारा चयनित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन 100% राज्य योजना के तहत् करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

ख. "चयनित स्थल पर विवाद अथवा भूमि अनुपलब्धता आदि की स्थिति में संकल्प की कंडिका 14 (i) के अनुरूप विवाद रहित NOC प्राप्त उपयुक्त स्थल के चयन का दायित्व संबंधित उपायुक्त का होगा, जिसपर क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु विभागीय प्रधान सचिव/सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।"

6. संकल्प संख्या—1021, दिनांक—31.03.2022 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
7. संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
8. इसपर मंत्रिपरिषद् की दिनांक—29.08.2024 की बैठक में मद संख्या—02 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:—05/अल्प०आ०वि०—09/21 (खण्ड)— 2435   राँची, दिनांक:— 04/09/2024

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस संकल्प को आगामी झारखण्ड गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी 300 प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:—05/अल्प०आ०वि०—09/21 (खण्ड)— 2435   राँची, दिनांक:— 04/09/2024

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० व हक०), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण), झारखण्ड के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/बजट प्रशाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।